16-03-2026 काराधीन अभियुक्त बालेश्वर कोड़ा उर्फ मुखिया जी एवं अर्जुन कोड़ा की को कारा से प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 121, 121(A), 120(B) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (U.A.P. Act) की धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 25(1-AA), 26 के अंतगर्त दण्डनीय अपराध के करने के लिये दिनांक 25.08.2023 को आरोप का गठन हुआ था तथा विचारण के दौरान एकमात्र साक्षी काण्ड के अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य हुआ, जिसने अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि **घटनास्थल पर कोई स्वतत्र साक्षी नही था, इसलिये उसने पुलिस बल के सदस्य को ही साक्षी बना दिया था। अभियुक्त को वह नही पहचानता है।** इन्ही सब बातों को घ्यान में रखते हुये गत तिथि दिनांक 27.02.2026 को वृहद आदेश पारित करते हुये यह आदेश हुआ था कि मामले में एक भी तथ्य के साक्षी का साक्ष्य नही हुआ है। सिर्फ अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य हुआ है। मामले में सभी साक्षी पुलिसकर्मी है तथा अभियुक्त इस मामले में 2 वर्ष से अधिक समय से काराधीन है। अगली तिथि को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अभियोजन साक्ष्य बंद कर अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ प्रदान किया जाएगा तथा यह भी आदेश हुआ था कि इस आदेश से विद्वान अपर लोक अभियोजक को अवगत कराये तथा इस आदेश के आलोक में आदेश फलक पर विद्वान अपर लोक अभियोजक का हस्ताक्षर करवाया गया। आज ना ही साक्षी है तथा ना ही अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य हेतु समय आवेदन है। अतः पूर्व आदेश के आलोक में अभियुक्त को द0प्र0स0 की धारा 232 का लाभ दिया जाए।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनपरांत मैं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। यहां उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी वर्ष 2022 की है तथा सभी चार अभियोजन साक्षी पुलिसकर्मी है। विचारण के दौरान एकमात्र साक्षी काण्ड के अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य हुआ, जिसने अपनी प्रति

परीक्षा में कथन किया है कि **घटनास्थल पर कोई स्वतत्र साक्षी नही था, इसलिये उसने पुलिस बल के सदस्य को ही साक्षी बना दिया था। अभियुक्त को वह नही पहचानता है।** अतः काराधीन अभियुक्त बालेश्वर कोड़ा उर्फ मुखिया जी एवं अर्जुन कोड़ा के बयान उपरांत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे द0प्र0स0 की धारा 232 के अंतगर्त इस मामले में लगे भा0द0वि0 की धारा 147, 148, 121, 121(A), 120(B) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (U.A.P. Act) की धारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एवं शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 25(1-AA), 26 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, जमुई।